# JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY TEACHERS' ASSOCIATION

**PRESS STATEMENT**
**22 FEBRUARY 2018**

Amidst the raging controversy over the issue of compulsory attendance, the Registrar of JNU yesterday issued a document citing several legal provisions in an attempt to defend the attendance rule. The JNUTA would like to contest the substance of this document, which appears to be an ex post facto fabrication to justify a hastily and arbitrarily adopted decision.

The Registrar cites the provisions of four separate documents in his letter:

1. the 'decision' of the controversial Academic Council meeting of 1 December 2017 as recorded in the Minutes
2. Ordinances 10 and 22 of the University
3. the UGC guidelines for fellowships
4. the Lyngdoh Committee recommendations

Regarding the first document, it must be noted that the so-called "decision" of the AC has been repeatedly called into question not only by the faculty members who were present there but even an external nominee of the Vice-Chancellor. The Minutes of this meeting have been contested repeatedly since they do not accurately reflect what transpired at the meeting regarding the issue of attendance. The controversy over attendance is now months old; yet not once has reference ever been made to a single one of the provisions that were cited in yesterday's communication. Reference to these provisions at this late stage is clearly an afterthought.

The second reference is to the University Ordinances, each of which has been in existence for several years without mandating attendance. The Registrar has cited Ordinance 10 on the powers and responsibilities of the Deans to maintain attendance records but he seems to have conveniently omitted the mention of the clause which says "**when these are prescribed**". Such deliberate selective reading of the provision allows the Registrar to draw a conclusion that is the exact opposite of what the provision read in full lays out - that the attendance rules are *not* mandatory.

When citing Ordinance 22, the Registrar again fails to note that this Ordinance - enacted in 1971 - has been superceded by Ordinance 23 since 1978 for all programmes, barring pre-degree diplomas (which are not regularly offered programmes any more). Neither Ordinance 23 nor the ordinances relating to the other regular programmes of the University include the attendance requirement stipulated in Ordinance 22. So a provision cited in an Ordinance that was applicable to some specific programme long ago is sought to be made applicable to all current programmes in the university. This selective reading and skewed interpretation of the Ordinances on the part of the Registrar, if inadvertent, cannot be excused, and if deliberate, are nothing short of devious.

Next, the Registrar uses the UGC guidelines to argue that these can be interpreted to mean that it is mandatory for research scholars to sign on attendance registers every day. He, however, ignores the very simple fact that if the guidelines (and these are guidelines, not

regulations) really were to imply that, they could have explicitly stated so – but they do not. It is also pertinent to note that these particular clauses of the UGC rules are applicable to those who avail the Junior or Senior Research Fellowships and not on all research students.

Last, the Registrar has rather conveniently overlooked the fact that there is a Supreme Court Order dated 2011 that qualifies the applicability of the Lyngdoh Committee recommendations to JNUSU elections, specifically providing an exception on the attendance requirement on the grounds that attendance is not maintained in JNU.

Such a miscalculated attempt on the part of the administration to defend the indefensible is damaging to its credibility. The notifications and orders on compulsory attendance must be withdrawn immediately.

## प्रेस स्टेटमेंट

## 22 फरवरी 2018

कल जे एन यू रजिस्ट्रार ने अटेंडेंस को लेकर विश्वविद्यालय के विभिन नियमों तथा यू जी सी के नियमों का हवाला देते हुए एक पत्र वेबसाइट पर डाला है। जे नू टा इस पत्र में दिए गए विभिन तथ्यों की प्रमाणिकता पर सवाल उठाना चाहता है तथा साथ ही हम ये भी कहना चाहते है की रजिस्ट्रार महोदय का ये प्रयास वास्तव में गैर लोकतान्त्रिक ढंग से लिए गए एक निर्णय को, निर्णय लिए जा चुकने के बाद उसे सही ठहराने का एक असफल प्रयास है।

इस पत्र में चार अलग तरह के नियमों का हवाला दिया गया है :
1 दिसंबर 1 , 2018 को हुयी अकादमिक कौंसिल की मीटिंग , जिसके मिनट्स अभी भी विवादस्पद हैं , में उपस्थिति के मुद्दे पर हुयी बहस का हवाला

2 विश्वविद्यालय के अपने नियमों जो की पहले से मौजूद हैं का हवाला

3 यू जी सी के नियम

4 लिंगदोह समिति की सिफारिशों का हवाला

इन चारो ही तथ्यों की प्रमाणिकता को एक एक करके हम ये बताना चाहते हैं की किस प्रकार रजिस्ट्रार महोदय नियमों की मनमानी व्याख्या करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वप्रथम अभी तक अटेंडेंस को लेकर जितने भी फरमान ऑफिस आर्डर के रूप में निकले गए उनमें किसी में भी इन नियमों का हवाला नहीं दिया गया। अगर ये विश्विद्यालय कानून में पहले से मौजूद था तो उसे फिर से कौंसिल में "मिनट टू मिनट डिस्कशन" करने की क्या आवश्यकता थी? गौरतलब है की ए सी के मिनट्स में भी इन नियमों का हवाला नहीं दिया गया।

ए सी में अटेंडेंस मुद्दे पर बहस नहीं हुयी इस पर न केवल जे एन यू के अध्यापक जो की उसके सदस्य हैं एकमत हैं , बल्कि वी सी के द्वारा नियुक्त लोगो ने भी इस पर सवाल उठाये हैं। अगर इस तरह के नियम पहले से मौजूद थे तो फिर इन नियमों को फिर से बहस के लिए खोलने की क्या आवश्यकता थी। दूसरा जब इस मुद्दे पर विवाद होते हुए एक महीना होने को आया, तब ये अचानक से नियम कानून कैसे याद आये, ये भी रजिस्ट्रार महोदय को स्पष्ट करना चाहिए।

तीसरा , जहाँ तक विश्वविद्यालय के अपने नियमों का सवाल है , रजिस्ट्रार महोदय ने ये तो बताया की कंपल्सरी अटेंडेंस ऑर्डिनेंस के क्लॉज़ में है (आर्डिनेंस 22) पर ये नहीं बताया की उसी में ये भी लिखा है की 'अगर ऐसी आवश्यकता समझी जाये", अर्थात इन नियमो के तहत अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं थी। इसका केवल जिक्र किया गया है।
अगर आर्डिनेंस 22 की बात करें तो इसी आर्डिनेंस को आर्डिनेंस 23 , 1978 के द्वारा रद्द कर दिया गया था क्योंकि ये केवल विश्विद्यालय के पार्ट टाइम कोर्सेज, खास तौर पर विदेशी भाषाओँ में कभी कभार ऑफर किये जाते थे , के लिए बनाया गया था। इसका पोस्ट-ग्रेजुएट या फिर एम् फील प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था।

चौथा , अगर यू जी सी के नियमों की बात करें तो ये नियम स्पष्टतः किसी भी रूल बुक का हिस्सा नहीं हैं। ये केवल यू जी सी की फ़ेलोशिप प्राप्ति वाले विद्यार्थियों के लिए फ़ेलोशिप फॉर्म पर लिखा होता है। ये किसी नियम का हिस्सा नहीं है। यू जी सी की फ़ेलोशिप लेने वाले विद्यार्थी किसी भी विश्विद्यालय में गिने चुने ही होते हैं।

पांचवा , रजिस्ट्रार महोदय को ये ज्ञात होना चाहिए की लिंगदोह समिति की सिफारिशों को लेकर माननीय न्यायालय का एक निर्णय है जिसमे जे एन यू के नियमों और व्यवस्था को देखते हुए रियायत दी गयी थी , इसमें अटेंडेंस का मुद्दा भी एक था। अर्थात ये नियम इस विश्विद्यालय पर लागु नहीं होते।

जे इन यू अध्यापक संघ ये कहना चाहता है की रजिस्ट्रार महोदय नियम कानूनों की मनमानी उलजुलूल व्याख्या करना बंद करें , और इससे सम्बंधित नियम जो की मनमाने ढंग से लागु किये गए हैं को कुलपति महोदय वापस लें।